# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,नागौर

**पीठासीन अधिकारी–पीयुष समारिया, आई.ए.एस.**

**प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या– 210/2022**
**जी.सी.एम.एस.पोर्टल संख्या–2022/266**

| **प्रार्थी** | बनाम | **अप्रार्थीगण** |
|---|---|---|
| यूको बैंक, शाखा डांगावास | | 1. मैसर्स अभिनव ट्रेडिंग कम्पनी जरिये प्रोपराईटर श्रीमति संगीता पत्नी सुरेशचंद, पता– गायत्री मंदिर के पास, मेड़तासिटी, जिला नागौर<br>2. श्री सुरेश चंद पुत्र रामराज, पता– 124, ब्राहम्णों का बास, भूरियासनी, तहसील मेड़ता सिटी, जिला नागौर |

**आदेश** **दिनांक: 26-07-2022**

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ, जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैक ने अप्रार्थी/ ऋणी को **9,90,000/– (अक्षरे नौ लाख नब्बे हजार रूपये मात्र) दिनांक 14.01.2016** को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में **बंधक अचल सम्पत्ति :– (1) आवासीय भूमि प्लॉट नं. 72, भरत नगर– सी, मेड़ता सिटी, तहसील मेड़ता, जिला नागौर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 1125 वर्गफीट (125 वर्गगज) सेल डीड नं. 2015010710 दिनांकित 01.12.2015 है जो कि श्रीमती संगीता पत्नी श्री सुरेश चंद के नाम से है। जिसकी चर्तुसीमाएं इस प्रकार है पूर्व में प्लॉट नं. 73, पश्चिम में प्लॉट नं. 71, उत्तर में 30 फीट चौड़ी सड़क निकास एवं दक्षिण में आराजी किशनाराम स्थित है एवं (2) आवासीय मकान पट्टा नं. 26, ग्राम भूरियासनी, तहसील मेड़ता सिटी, जिला नागौर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 722.07 वर्गफीट (80.23 वर्गगज) लीज डीड नं. 201801097005724 दिनांकित 03.07.2018 है जो कि श्री सुरेश चंद पुत्र श्री रामराज के नाम से है। चतुर्थ सीमाएं इस प्रकार है पूर्व में आम रास्ता, मकान का निकास, पश्चिम में सुगन लाल पुत्र मोहन लाल का मकान, उत्तर में मकान देव किशन पुत्र श्री परसाराम एवं दक्षिण में मकान लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री बद्रीलाल स्थित है,** जो प्रार्थी बैक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एंव जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये ।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैक के नियमानुसार भुगतान नही चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को **दिनांक 09.02.2022** को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में **रूपये 9,84,553.79/–(अक्षरे रूपये नौ लाख चौरासी हजार पांच सौ तिरेपन एवं पैसे उन्यासी मात्र) दिनांक 09.02.2022 तक (दिनांक 31.10.2021 तक ब्याज सम्मिलित) एवं इस दिनांक के बाद का ब्याज एंव अतिरिक्त खर्चे, लागत इत्यादि भुगतान** बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक ने ऋणी/अप्रार्थी को **दिनांक 16.03.2022** को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के उक्त नोटिस अप्रार्थी संख्या 1 श्रीमती संगीता को दिनांक 18.03.2022 को व्यक्तिशः दिये गये, परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि **रूपये 9,84,553.79/–(अक्षरे रूपये नौ लाख चौरासी हजार पांच सौ तिरेपन एवं पैसे उन्यासी मात्र) दिनांक 09.02.2022 तक (दिनांक 31.10.2021 तक**



जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

**ब्याज सम्मिलित) एवं इस दिनांक के बाद का ब्याज एंव अतिरिक्त खर्चे, लागत इत्यादि भुगतान** को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैक सिक्योरिटीज सम्पति का विवरण **बंधक अचल सम्पत्ति :– (1) आवासीय भूमि प्लॉट नं. 72, भरत नगर– सी, मेड़ता सिटी, तहसील मेड़ता, जिला नागौर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 1125 वर्गफीट (125 वर्गगज) सेल डीड नं. 2015010710 दिनांकित 01.12.2015 है जो कि श्रीमती संगीता पत्नी श्री सुरेश चंद के नाम से है। जिसकी चर्तुसीमाएं इस प्रकार है पूर्व में प्लॉट नं. 73, पश्चिम में प्लॉट नं. 71, उत्तर में 30 फीट चौड़ी सड़क निकास एवं दक्षिण में आराजी किशनाराम स्थित है एवं (2) आवासीय मकान पट्टा नं. 26, ग्राम भूरियासनी, तहसील मेड़ता सिटी, जिला नागौर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 722.07 वर्गफीट (80.23 वर्गगज) लीज डीड नं. 201801097005724 दिनांकित 03.07.2018 है जो कि श्री सुरेश चंद पुत्र श्री रामराज के नाम से है। चतुर्थ सीमाएं इस प्रकार है पूर्व में आम रास्ता, मकान का निकास, पश्चिम में सुगन लाल पुत्र मोहन लाल का मकान, उत्तर में मकान देव किशन पुत्र श्री परसाराम एवं दक्षिण में मकान लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री बद्रीलाल स्थित है,** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डौक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैक से रूपये 9,90,000/– **(अक्षरे नौ लाख नब्बे हजार रूपये मात्र) दिनांक 14.01.2016** को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:– प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा,उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा,और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर –(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय मे आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध मे पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं । अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।



न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व मे **बंधक अचल सम्पत्ति :– (1) आवासीय भूमि प्लॉट नं. 72, भरत नगर– सी, मेड़ता सिटी, तहसील मेड़ता, जिला नागौर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 1125 वर्गफीट (125 वर्गगज) सेल डीड नं. 2015010710 दिनांकित 01.12.2015 है जो कि श्रीमती संगीता पत्नी श्री सुरेश चंद के नाम से है। जिसकी चर्तुसीमाएं इस प्रकार है पूर्व में प्लॉट नं. 73, पश्चिम में प्लॉट नं. 71, उत्तर में 30 फीट चौड़ी सड़क निकास एवं दक्षिण में आराजी किशनाराम स्थित है एवं (2) आवासीय मकान पट्टा नं. 26, ग्राम भूरियासनी, तहसील मेड़ता सिटी, जिला नागौर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 722.07 वर्गफीट (80.23 वर्गगज) लीज डीड नं. 201801097005724 दिनांकित 03.07.2018 है जो कि श्री सुरेश चंद पुत्र श्री रामराज के नाम से है। चतुर्थ सीमाएं इस प्रकार है पूर्व में आम रास्ता, मकान का निकास, पश्चिम में सुगन लाल पुत्र मोहन लाल का मकान, उत्तर में मकान देव किशन पुत्र श्री परसाराम एवं दक्षिण में मकान लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री बद्रीलाल स्थित है,** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैक के हक मे बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध मे संबधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे मे हो तो उन दस्तावेजो को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर एंव मजिस्ट्रेट,
नागौर

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर